भारतीय मानक ब्यूरो
(हॉलमार्किंग विभाग)

हमारा सन्दर्भ: एचएमडी/14:44 10 अप्रैल 2023

विषय: सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2023

सरकारी राजपत्र में प्रकाशित सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2023 संलग्न है।

यह आदेश हॉलमार्किंग और "नया क्या है" अनुभाग के तहत बीआईएस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की इसे सभी संबंधितों को सूचित करें।

(सचिन देव मीणा)
वैज्ञानिक बी /एचएमडी

Hallmarking Department

Ref.: HMD/14:44 10/04/2023

Sub.: Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts (Second Amendment) Order, 2023

Please find annexed Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts (Second Amendment) Order, 2023 as published in the Official Gazette.

The order is also available on the BIS website under the Hallmarking and What's new section.

All ROs and BOs are requested to bring it to the notice of all concerned.

(Sachin Dev Meena)
Scientist-B/HMD

प्रमुख, एचएमडी/Head HMD

इंट्रानेट के माध्यम से परिचालित/Circulated through Intranet to:

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ शाखा कार्यालयों/All ROs/BOs,

सभी उपमहानिदेशक (क्षेत्रीय)/All DDGRs

सभी एच.एम.ओ./All HMOs

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244828
CG-DL-E-31032023-244828

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1499]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945
No. 1499]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

का.आ. 1555(अ).— केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 15 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3), धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2), धारा 17 तथा धारा 25 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के परामर्श से, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति की हॉलमार्किंग आदेश, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति की हॉलमार्किंग (दूसरा संशोधन) आदेश, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृति की हॉलमार्किंग आदेश, 2020 के, खंड 2 के, उप-खंड (2क) में, निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु यदि किसी व्यक्ति ने 1 जुलाई, 2021 से पहले यथा प्रचलित पुरानी हॉलमार्किंग वाले स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण शिल्पकृतियों के अपने पुराने स्टॉक की घोषणा करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 18 की उप-धारा (4) के अधीन ब्यूरो द्वारा यथा अपेक्षित कोई घोषणा पहले ही कर दी थी, तो ऐसे व्यक्ति को 30 जून, 2023 तक पुराने स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण शिल्पकृतियों के ऐसे घोषित स्टॉक की बिक्री करने या प्रदर्शन करने या बिक्री का प्रस्ताव करने की अनुमति होगी।

[फा. सं. 6/1/2017-बीआईएस (भाग 2)]

निधि खरे, अपर सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 205 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात्, संख्यांक का.आ. 3513 (अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2020, का.आ. 2102 (अ), तारीख 1 जून, 2021, का.आ. 2481 (अ), तारीख 23 जून, 2021, का.आ. 1594 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2022 तथा का.आ. 1047 (अ), तारीख 6 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 2023

S.O. 1555(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 14 read with sub-sections (2) and (3) of section 15, sub-sections (1) and (2) of section 16, section 17 and sub-section (2) and (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, further to amend the Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts Order, 2020, namely:-

1. (1) This Order may be called the Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts (Second Amendment) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts Order, 2020, in clause 2, in sub-clause (2A), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that if any person, had already given a declaration as required by the Bureau under sub-section (4) of section 18 of the Bureau of Indian Standards, Act, 2016 (11 of 2o16) declaring his old stock of Gold jewellery or Gold artefacts with old hallmarking as existed prior to 1st July 2021, such person shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock of old Gold jewellery or Gold artefacts upto the 30th June 2023".

[F. No. 6/1/2017-BIS (Part 2)]

NIDHI KHARE, Addl. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 205 (E), dated the 15th January, 2020 and subsequently amended vide number S.O. 3513 (E), dated the 9th October, 2020, S.O. 2102 (E), dated the 1st June, 2021, S.O. 2481 (E), dated the 23rd June, 2021, S.O. 1594 (E), dated the 4th April, 2022 and S.O. 1047(E), dated the 6th March, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA